कार्यालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जमवारामगढ़, जिला–जयपुर

क्रमांक ..234... दिनांक 18.05.2020

आम–सूचना

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम की दिशा में जारी परिपत्र क्रमांक Gen/XV/43/2020/2604 दिनांकित 29.03.2020, 08/पी.आई./2020 दिनांकित 24.03.2020, 14/पी.आई./2020 दिनांकित 14.04.2020 एवं 17/पी.आई./2020 दिनांकित 02.05.2020 एवं 18/पी.आई./2020 दिनांकित 17.05.2020 के माध्यम से प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 18.05.2020 से 31.05.2020 तक के कार्य दिवसों में केवल निम्न प्रकृति के अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई की जावेगीः–

01. जमानत प्रार्थना–पत्र
02. रिमाण्ड प्रकरण
03. व्यादेश/स्थगन संबंधी प्रकरण
04. सुपुर्दगी प्रार्थना–पत्र
05. एवं ऐसे अन्य प्रकरण जो कि न्यायालय की राय में अति आवश्यक प्रकृति के हो।

उक्त प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत सुनवाई हेतु निम्न तिथियां सुनिश्चित की जाती है। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरण में यदि स्थगन आदेश प्रभावी है, तो वह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा।

क्र0सं0	सुनवाई की तिथि	सिविल प्रकरण (आगामी तारीख पेशी)	फौजदारी प्रकरण (आगामी तारीख पेशी)
01	18.05.2020	18.08.2020	18.08.2020
02	19.05.2020	19.08.2020	19.08.2020
03	20.05.2020	20.08.2020	20.08.2020
04	21.05.2020	21.08.2020	21.08.2020
05	22.05.2020	24.08.2020	24.08.2020
06	26.05.2020	25.08.2020	25.08.2020
07	27.05.2020	26.08.2020	26.08.2020
08	28.05.2020	27.08.2020	27.08.2020
09	29.05.2020	01.09.2020	01.09.2020
10	30.05.2020	02.09.2020	02.09.2020

जिन प्रकरणों में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है या जो प्रकरण अन्य न्यायालय में कमिट किये जाने हैं, उन प्रकरणों में तारीख पेशी न्यायालय द्वारा निर्धारित की जावेगी।

इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था है कि यदि कोई पक्षकार अपने प्रकरण को अति आवश्यक प्रकृति का मानकर सुनवाई चाहता है, तो वह इस सम्बन्ध में कारणों को अंकित करते हुए न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सकता है। उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किए जाने की दशा में यदि न्यायालय सुनवाई के पश्चात यह उचित पाता है कि मामला वास्तव में अति आवश्यक प्रकृति का है, तो वह ऐसे प्रकरण की सुनवाई हेतु अग्रसर होगा।

नवीन प्रकरणों की संस्थिति पूर्व की भांति जारी रहेगी। परन्तु यह प्रयास किया जावे कि उक्त स्थिति में केवल और केवल आवश्यक व्यक्ति ही न्यायालय परिसर में उपस्थित आवे।

सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
जमवारामगढ़, जिला–जयपुर

Scanned with CamScanner

यह न्यायालय नव–सृजित न्यायालय है, जिसमें सीआईएस सिस्टम कुछ माह पूर्व ही चालू हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में न्यायालय की पत्रावलियां सीआईएस पर अपलोड न होने के कारण उक्त परिवर्तित पेशियां सीआईएस पर दर्शित नहीं है।

Sd/ –

सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जमवारामगढ़, जिला जयपुर

प्रतिलिपिः–

01. प्रति वास्ते सूचनार्थ श्रीमान् जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर जिला जयपुर।

02. प्रति वास्ते सूचनार्थ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला जयपुर।

03. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, जमवारामगढ, जिला जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि इस सूचना से समस्त अधिवक्तागण को सूचित करावे और समस्त अभिभाषकगणों से भी अनुरोध है कि वे अपने पक्षकारान को प्रकरणों की तारीख की सूचना मोबाईल आदि से दें, ताकि वे न्यायालय में आने से बचे और संक्रमण मुक्त व सुरक्षित रहें।

04. आदेश की प्रति सिस्टम असिस्टेंट को प्रेषित की जावे, ताकि न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड की जावे।

05. सूचना की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावे।

06. कार्यालय प्रति।

सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
जमवारामगढ़, जिला जयपुर

सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जमवारामगढ़, जिला जयपुर

Scanned with CamScanner